

आदवासी संपत्तियों पर सुरक्षा शविरि

चर्चा में क्यों?

संविधान की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड में अधिकांश सुरक्षा शविरि [आदवासियों](#) की नज्ी या सामुदायिक संपत्तियों पर उनकी सहमति के बिना तथा मौजूदा कानूनों का गंभीर उल्लंघन करते हुए स्थापति कयि गए हैं ।

मुख्य बदि

- छत्तीसगढ़ और झारखंड में आदवासी समुदायों की सहमति के बिना स्थापति अर्द्धसैनिकि शविरिों का प्रसार, जनिका उद्देश्य आदवासियों के जीवन तथा संवैधानिक अधिकारों की कीमत पर [खनन कार्यों](#) एवं [कॉर्पोरेट हतियों](#) को [सुवधाजनक](#) बनाना है ।
 - शविरिों के वरिद्ध शांतपूरण लोकतांत्रिकि वरिध को नज़रअंदाज़ कयिा गया है या लाठीचार्ज, स्थलों को जलाने और प्रदर्शनकारयिों पर गोलीबारी जैसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल करके दबा दयिा गया है ।
- इनमें से अधिकांश शविरि ऐसे क्षेत्रों में स्थापति कयि गए हैं, जो वर्तमान में [संधारणीय खनन प्रबंधन योजना 2018](#) के अनुसार [संरक्षण या खनन नषिध क्षेत्र](#) में आते हैं ।
- रिपोर्ट में कानून का सम्मान करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लयि [पंचायत \(अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार\) अधनियिम, 1996](#) तथा [वन अधिकार अधनियिम, 2006](#) के कार्यान्वयन का आह्वान कयिा गया है ।³

पंचायत (अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितार) अधनियिम, 1996

- परचिय:
 - PESA अधनियिम 1996 में [“पंचायतों](#) से संबंघति संवधान के भाग IX के प्रावधानों को अनुसूचति क्षेत्रों तक वसितारति करने के लयि” अधनियिमति कयिा गया था ।
 - संवधान के भाग IX में अनुच्छेद 243-243ZT शामिल हैं, जसिमें नगर पालिकाओं और सहकारी समतियिों से संबंघति प्रावधान हैं ।
- प्रावधान:
 - अधनियिम के तहत, अनुसूचति क्षेत्र वे हैं जो अनुच्छेद 244(1) में संदर्भति हैं, जसिमें कहा गया है कि [पाँचवीं अनुसूची](#) के प्रावधान असम, मेघालय, त्रपुरा और मज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचति क्षेत्रों एवं अनुसूचति जनजातयिों पर लागू होंगे ।
 - पाँचवीं अनुसूची में इन क्षेत्रों के लयि अनेक वशिष प्रावधान कयिे गये हैं ।
 - **दस राज्य-** आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हमिाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना ने [पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधसूचति](#) कयिा है, जो इनमें से प्रत्येक राज्य के कई ज़िलों को (आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से) कवर करते हैं ।

वन अधिकार अधनियिम, 2006

- **वन अधिकार अधनियिम (FRA), 2006** को वन में रहने वाले [अनुसूचति जनजातयिों](#) और अन्य पारंपरिक वनवासयिों को [वन भूमि](#) पर औपचारिक रूप से वन अधिकारों तथा कब्ज़े को मान्यता देने एवं प्रदान करने के लयि पेश कयिा गया था, जो इन वनों में पीढ़ियिों से नवास कर रहे हैं, भले ही उनके अधिकारों को आधिकारिक तौर पर दस्तावेज़ति नहीं कयिा गया हो ।
- इसका उद्देश्य औपनविशकि और उत्तर-औपनविशकि भारत की वन प्रबंधन नीतयिों के कारण वन-नवासी समुदायों द्वारा झेले गए [ऐतिहासिक अन्याय को संबोधति](#) करना था, जो वनों के साथ उनके दीर्घकालिक सहजीवी संबंधों को स्वीकार करने में वफिल रहे ।
- इसके अतरिकित, अधनियिम का उद्देश्य [वनवासयिों को](#) वन संसाधनों तक पहुँच और उनका स्थायी उपयोग करने, जैववधिता तथा पारस्थितिकि संतुलन को बढ़ावा देने एवं उन्हें गैरकानूनी बेदखली व वसिस्थापन से बचाने के लयि [सशक्त](#) बनाना था ।

